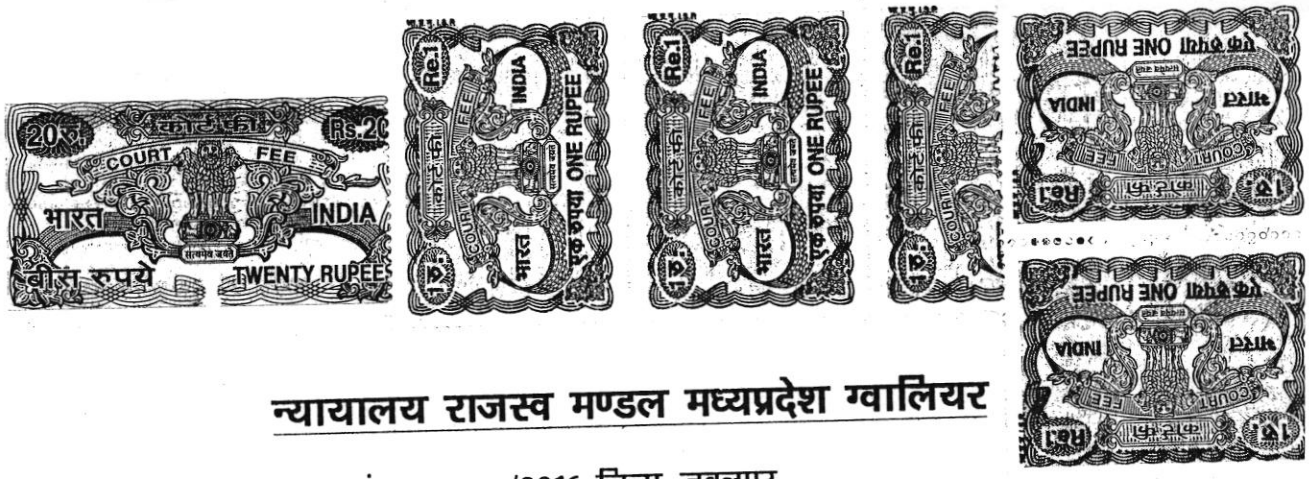

50

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–जबलपुर

R-4050-I-16

गौसमोहम्मद पुत्र स्व. श्री लाल मोहम्मद निवासी– मीरगंज शहपुरा तहसील पाटन जिला–जबलपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–जबलपुर (म.प्र.)

-- अनावेदक

श्री [illegible] चतुर्वेदी [illegible]
द्वारा आज दि. 2.12.16 को
प्रस्तुत
2-12-16
क्लर्क [illegible]
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

647
2-12-16

न्यायालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 145/बी–121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक को ग्राम खेरी में स्थित प.ह.न. 57 के खसरा क्रमांक 258/2 रकवा 2.00 है0 का पट्टा प्रदान किया गया था। जिसपर वह लगभग 25–30 वर्षो से काबिज है, जोकि म.प्र. शासन घासमद की भूमि है। आवेदक के बताये अनुसार तद्समय पटवारी द्वारा पट्टे के अनुसार स्थल पर भूमि का कब्जा दिया गया। उसे उक्त स्थिति की जानकारी अत्यधिक समयावधि बाद हुयी और चूकि उसने भूमि को स्वंय कड़ी मेहनत करके कृषि उपयोग बनाया था। अतः पट्टे पर प्राप्त भूमि की कब्जे में धारित शासकीय भूमि से अदला–बदली किये जाने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
2. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 145/बी–121/08–09 पर पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। और पारित आदेश दिनांक 11.08.2009 से आवेदन पत्र अमान्य कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को अपील प्रकरण क्रमांक 452/बी–121/08–09 प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 26.06.2010 से स्वीकार कर कलेक्टर जिला जबलपुर का पारित आदेश दिनांक 11.08.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण में इस निर्देश के साथ वापिस किया गया। कि

R 4050-I/16

16-1-18

आवेदक अभि. श्री की. के. द्विवेदी उपर। अनाथ शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शाह अभि उपर। आवेदक अभि. के. निवेदन पर प्रकाश नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकाश दाखिल रिकार्ड हो।

प्रकाश

प्रकाश आ...